W/R

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी / टीए /6683/2013/ जिला दौसा

1– श्रीमती नर्बदा पत्नि रामफूल
2– श्रीमती कस्तुरी पत्नि मूलचन्द
3– श्रीमती तौफली पत्नि गिर्राज
4– श्रीमती छाजू पत्नि चन्दाराम
समस्त जाति गुर्जर निवासी ढाणी छाबडी ग्राम कालोत तहसील व जिला दौसा।

.....**प्रार्थीगण**

बनाम

1– श्रीमती कलावती पत्नि हनुमान सहाय जाति जांगिड ब्राहमण निवासी सीण्डोली तहसील व जिला दौसा।
2– श्रीमती बुद्धि देवी पत्नि लालाराम जाति जांगिड ब्राहमण निवासी दौसा, तहसील व जिला दौसा।
3– प्रभूदयाल पुत्र कालूराम जाति जांगिड ब्राहमण निवासी कालोता, तहसील व जिला दौसा।

..... **अप्रार्थीगण**

एकलपीठ
श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थित :
श्री के.के.पुरोहित, अभिभाषक प्रार्थीगण।
श्रीमती पूनम माथुर, अभिभाषक केवियटकर्ता।

निर्णय

दिनांकः– 23–01–2014

1– यह निगरानी न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर कैंप दौसा (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 115/2013 में पारित आदेश दिनांक 21–11–2013 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1955') की धारा 230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2— निगरानी प्रार्थनापत्र अनुसार प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है किः—

(1) ग्राम कालोता तहसील दौसा की वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1251, 3161 से 1363, 1375 से 1377, 1381 व 1472 कुल किता 9 रकबा 4.26 हेक्टयर का खातेदार कालूराम था, जिसकी मृत्यु के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 128 दिनांक 01—03—1973 को उसके पुत्र रामेश्वर एवं प्रभूदयाल के नाम तस्दीक किया गया। रामेश्वर के लाऔलाद फोत होने से समस्त वादग्रस्त भूमि का खातेदार अप्रार्थी संख्या—3 प्रभूदयाल है।

(2) प्रभुदयाल ने खसरा नंबर 1251 रकबा 0.91 हैक्टयर जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 27—04—2011 प्रार्थीगण को बेचान कर दी और क्रय की दिनांक से ही प्रार्थीगण क्रयसुदा आराजी पर काबिज—काश्त चले आ रहे हैं।

(3) उक्त वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वादी/अप्रार्थी संख्या—1 व 2 द्वारा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या—3 के विरुद्ध एक वाद संख्या 66/2011 वास्ते अधिकार धोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर, दौसा (विचारण न्यायालय) में प्रस्तुत किया तथा एक प्रार्थनापत्र अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अनतर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। धारा 212 के प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर वादग्रस्त भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिनांक 06—05—2011 को पारित किये।

(4) मूल वाद विचाराधीन था और प्रकरण में आगामी तारीख 25—07—2013 नियत थी। इसी बीच अप्रार्थी संख्या—1 व 2 द्वारा अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत द्वितीय प्रार्थनापत्र दिनांक 24—07—2013 को वास्ते रिसीवर नियुक्ति इस निवेदन के साथ प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 25—03—2013 व प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 13—06—2013 की प्रार्थीगण/ निगरानीकर्ता प्रार्थीगण द्वारा अवहेलना व अवमानना की जा रही है और बलपूर्वक दखल करते हुये अप्रार्थीगण की फसल को नष्ट करने की चेष्टा की जा रही है।

(5) विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बगैर आदेश दिनांक 24—07—2013 जारी कर वादग्रस्त भूमि

खसरा नंबर 1251 पर रकबा 0.91 हेक्टेयर पर तहसीलदार दौसा को रिसीवर नियुक्त कर दिया।

(6) उक्त आदेश दिनांक 24–07–2013 के विरुद्ध प्रथम अपील, न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर कैंप दौसा के यहां प्रस्तुत की गयी, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 21–11–2013 से खारिज कर दिया।

(7) प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 21–11–2013 से व्यथित होकर हस्तगत निगरानी मण्डल में पेश की गई है।

3– उभय पक्ष की बहस निगरानी के ग्राहयता पर सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व आधारों को दोहराते हुये बहस के दौरान अभिकथन किया किः–

(1) कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को सुने बिना वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वन्तों के विपरीत है।

(2) कि वाद दायरी की दिनांक को वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र काबिज थे, उनको रिसीवर नियुक्त करके बेदखल नहीं किया जा सकता है। रिसीवर नियुक्ति कठोरतम कार्यवाही है और अगर विशेष परिस्थितियों में न्यायालय रिसीवर नियुक्त करना आवश्यक भी समझता है तो नकद प्रतिभूति का विकल्प काबिज व्यक्ति को दिया जाना चाहिये था। विचारण न्यायालय द्वारा केवल शान्ति भंग की आशंका जताते हुये रिसीवर नियुक्त किया गया है, जो कि राजस्व प्रकरणों में रिसीवर नियुक्त करने का न्यायोचित आधार नहीं है।

(3) कि वादग्रस्त आराजी बाबत वादी अप्रार्थी संख्या–1 व 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या–3 के साथ वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्से के लिये ही दावा प्रस्तुत किया गया है। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा समस्त 4.26 बीघा भूमि मे से केवल खसरा नंबर 1251 रकबा 0.91 हेक्टेयर भूमि ही क्रय की है, अतः यदि वादीगण/ अप्रार्थीगण 1 व 2 को वाद में सफलता मिलती है तो भी प्रार्थीगण द्वारा क्रय की गई आराजी से उनके हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

(4) कि विचारण न्यायालय द्वारा महज शांति भंग होने की आशंका के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा क्रय की गई भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया गया है, जबकि इस भूमि बाबत कभी कोई झगडा आदि नहीं हुआ है, किन्तु अप्रार्थीगण का प्रयोजन रिसीवरी के जरिये

प्रार्थीगण को उनकी क्रयसुदा भूमि के कब्जे से बेदखल करना मात्र है।

उपरोक्त तर्कों के साथ विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण का अभिकथन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किया जावे। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने 1986 RRD 1, 1987 RRD 123, 1988 RRD 112, 1991 RRD 359, 2010 (2) RRT 1173 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं।

5— निगरानी याचिका तथा प्रार्थीपक्ष के तर्कों का पुरजोर विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक केवियटकर्ता का कथन है किः—

(1) कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 / वादीगण का दावा विवादित आराजी में 1/3 हिस्से की खातेदारी की घोषणा का है, क्योंकि अप्रार्थी संख्या—3 द्वारा गलत तथ्य पेश करके विवादित आराजी को अपने नाम दर्ज करा लिया है। वादग्रस्त भूमि बाबत विचारण न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के बावजूद भूमि का बेचान कर दिया गया, जिससे वादी को अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत दूसरा प्रार्थनापत्र रिसीवरी हेतु प्रस्तुत करना पड़ा। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा का उल्लंघन होने के कारण ही रिसीवर नियुक्त करना उचित समझा है गया जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी बहाल रखा गया है।

(2) कि रिसीवर नियुक्त होने की स्थिति में नकद प्रतिभूति पर भूमि का कब्जा लेने के लिये पक्षकार को अनुरोध करना पड़ता है और वर्तमान प्रकरण में विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

(3) कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय समवर्ती है जिसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। अतः निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

6— निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, एवं आलोच्य आदेश का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया और दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7— निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों के अवलोकन व दोनों पक्षों की बहस के आधार पर यह तथ्य सर्वथा स्वीकृत है कि मूल वाद में निर्धारित दिनांक 25—07—2013 से मात्र एक दिन पूर्व दिनांक 24—07—2013 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा धारा 212 अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र वास्ते रिसीवरी प्रस्तुत किया गया और उसी दिन, वर्तमान प्रार्थीगण को सनवाई का अवसर दिये बिना, विचारण न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया गया। विचारण न्यायालय के उक्त एक पक्षीय रिसीवरी नियुक्ति आदेश दिनांक 24—07—2013 का अवलोकन किया गया। आदेश अनुसार विचारण न्यायालय की विवेचना का सारांश इस प्रकार है कि वर्तमान अप्रार्थीगण के अभिभाषक की तरफ से एक प्रार्थनापत्र दिनांक 24—07—2013 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान निरानीकर्ता पक्ष द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 25—03—2013 तथा अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 13—06—2013, जिसके द्वारा निगरानीकर्ता पक्ष की अपील विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज हो चुकी थी, के बावजूद बलपूर्वक खड़ी फसल को नष्ट करने की चेष्टा की जा रही है। अतः रिसीवर नियुक्त किया जावे। प्रार्थनापत्र के साथ पूर्व के स्थगन आदेशों व प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील खारिज करने के आदेश दिनांक 13—06—2013 की प्रतियां तथा पुलिस थाने में दर्ज की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 94/2013 दिनांक 04—07—2013 की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी थी। इन दस्तावेजात के आधार पर विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष रहा कि वर्तमान निगरानीकर्ता पक्ष वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करने व फसल नष्ट करने पर आमादा है। वादग्रस्त भूमि बाबत वाद संख्या 69/2011 व वाद संख्या 40/2011 लम्बित है। **''ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर शान्तिपूर्ण तरीके से काश्त होना सम्भव प्रतीत नहीं होता है।''** इस विवेचना के साथ ''अन्तरिम रुप से आगामी आदेश तक'' तहसीलदार को वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने का आदेश दिनांक 24—07—2013 पारित कर दिया गया। उक्त एकपक्षीय अन्तरिम आदेश दिनांक 24—07—2013 के विरुद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर आलोच्य आदेश दिनांक 21—11—2013 द्वारा अपील का अन्तिम निस्तारण करते हुये खारिज कर दिया गया।

8— विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 24—07—2013 के अवलोकन से जाहिर है कि जिस दिन प्रार्थनापत्र वास्ते रिसीवरी प्रस्तुत हुआ, उसी दिन प्रार्थनापत्र को स्वीकार करके रिसीवर नियुक्त कर दिया गया, जबकि प्रकरण में अगले ही दिन 25—07—2013 में सुनवाई नियत थी। विचारण न्यायालय द्वारा एक भी ऐसा कारण अंकित नहीं किया गया

है कि ऐसी क्या आपात्कालीन स्थिति है जिससे न्यायहित में विपक्षी/ वर्तमान निगरानीकर्ता पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के लिये एक दिन भी प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी। पूर्व में जारी किये गये स्थगन आदेशों व प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि को आधार बना कर विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वादग्रस्त भूमि पर **शान्तिपूर्ण तरीके से काश्त होना सम्भव प्रतीत नहीं होता है।** रिसीवरी के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की एक लम्बी श्रृंखला है जिनमें बार बार यह प्रतिपादित किया गया है कि रिसीवरी एक कठोरमत उपचार (harshest remedy) है जिसका उपयोग अन्तिम हथियार के रुप मे ही किया जाना चाहिये। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों में सेः–

(1) लाब्दी खान के प्रकरण 1986 RRD 1 में यह प्रतिपादित किया गया है कि– "Appointment of receiver is a harshest remedy, not to be resorted to so lightly."

(2) श्रीमती जुमनी के प्रकरण 1987 RRD 123 में यह प्रतिपादित किया गया है कि– "A receiver should never be appointed without affording opportunity to the other party to show cause, not even as an ad interim measure."

(3) धर्मसिंह के प्रकरण 1988 RRD 112 में भी उक्त 1987 RRD 123 में प्रतिपादित सिद्धान्त को पुष्ट किया गया है कि– " .. that a receiver must not be appointed without hearing the opposite party even as an ad interim measure."

(4) अरजानी देवी के प्रकरण 2010(2) RRT 1173 में प्रतिपादित किया गया है कि– "**विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रिसीवर नियुक्ति का कठोरतम कदम उठाया है जिसे विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता है। रिसीवर नियुक्ति एक कठोरतम कदम है तथा कब्जे वाले व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त करके बेदखल किया जाना कानून के विरुद्ध है। जहां तक विवादग्रस्त आराजी के वेस्ट, डेमेज एवं एलियनेट होने की सम्भावना हो तथा विवादग्रस्त भूमि नष्ट भ्रष्ट की जा रही हो तभी कठोरतम कदम उठा कर रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है परन्तु उस परिस्थिति में विपक्षीगण को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है।**"

(5) न्यायिक दृष्टान्त 1991 RRD 359 में भी यही कहा गया है कि– ".. an ex-parte order of appointing the receiver should not be passed even as an ad interim measure. … receiver should not be appinted without giving opportunity to the other party to show cause, not even as an ad interim measure because it is an extremely harsh step. …. Even if the reciver has taken possession

still then the correctness & legality of the imopugned order can be examined by the Board …."

इस प्रकार विद्वान अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत सभी न्यायिक दृष्टान्तों में यह स्पष्ट रुप से प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी स्थिति में विपक्षी को सुनवाई का अवसर दिये बिना किसी भी स्थिति में रिसीवरी जैसा कठोरतम कदम नहीं उठाया जाना चाहिये।

9— उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों की रोशनी में जब हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24—07—2013 का परीक्षण करते है तो उक्त आदेश प्रथम दृष्टया ही न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत आदेश साबित है। विचारण न्यायालय द्वारा ना तो एक पक्षीय रिसीवर नियुक्ति के लिये बाध्यकारी कारण (compelling reasons) अंकित किये हैं और ना ही यह निष्कर्षांकन किया गया है कि आया वादग्रस्त भूमि को खुर्द—बुर्द या अन्यसंक्रमाण (waste, damage or alienation) किया जा रहा है अथवा न्याय के उद्देश्यों को निष्फल करने के अनुक्रम में सम्पत्ति को हटाना अथवा निस्तारण करने (removal or disposal of the said property in order to defeat the ends of justice) का खतरा आसन्न है। केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के तथ्य के आधार पर यह मान लिया गया कि वादग्रस्त भूमि पर शान्ति पूर्वक काश्त किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। हमारा यह स्पष्ट मत है कि **शान्ति भंग की आशंका राजस्व प्रकरणों में रिसीवर नियुक्त करने का आधार नहीं माना जा सकता है। राजस्व प्रकरणों में रिसीवर नियुक्ति का आदेश अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाना चाहिये। शान्ति भंग होने की सम्भावना पर पुलिस व प्रशासन के पास दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 अथवा धारा 107/116 व 151 के अन्तर्गत कार्यवाही के विकल्प उपलब्ध है। राजस्व प्रकरणों में, जहां पक्षकारान के हक व अधिकारों का विनिश्चयन होना है, राजस्व न्यायालयों को दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों उपयोग नहीं करना चाहिये।**

10— अगर विचारण न्यायालय का यह सुविचारित मत था कि हस्तगत प्रकरण में रिसीवरी ही अन्तिम उपचार (last remedy) है तो न्यायहित में विपक्षी को सुनवाई का समुचित अवसर दे कर तथा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों की रोशनी में प्रकरण का परीक्षण करके समुचित आदेश पारित करना चाहिये। यह सही है कि आदेश दिनांक 24—07—2013 द्वारा अन्तरिम रुप से रिसीवरी नियुक्ति का आदेश पारित कर तहसीलदार को तत्काल वादग्रस्त भूमि का कब्जा लेने का आदेश देते हुये विपक्षीगण को नोटिस जारी करके पत्रावली अगले ही

दिन 25–07–2013 को प्रस्तुत करने के आदेश दिये है। किन्तु मेरा मत है कि जब प्रकरण में अगले ही दिन तारीख नियत थी तो विचारण न्यायालय को कम से कम यह कारण तो अंकित करना ही चाहिये था कि रिसीवरी नियुक्ति के लिये मात्र एक दिन का इन्ताजर करके प्रभावित पक्ष को पहले सुना जाना उचित क्यों नहीं था? एतदनुसार कार्यवाही के उपरान्त भी अगर रिसीवर नियुक्त करना आवश्यक समझा जावे तो अधिनियम, 1955 की धारा 212 की उपधारा (2) अनुसार काबिज पक्षकार को यथोचित नकद प्रतिभूति के बदले कब्जा बनाये रखने का अवसर भी दिया जाना चाहिये, जो कि निम्न प्रकार हैः–

> **"Rajasthan Tenancy Act, 1955:**
> Section 212:
> (2) **Any person against whom** an injunction has been granted or in respect of whose property a receiver has been appointed under sub-section (1) **may offer cash security** in such amount as the court may determine to compensate the opposite party in case the suit or proceeding is decided against such persons, and on depositing the amount of such security, **the court may withdraw** the injunction or the order appointing a receiver, as the case may be."

11– उपरोक्त विवेचन के आधार इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि रिसीवर नियुक्ति का आदेश दिनांक 24–07–2013 पारित करने में विचारण न्यायालय द्वारा निश्चित रुप से अपने क्षेत्राधिकार का गलत उपयोग किया गया है। साथ ही प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी आलोच्य आदेश दिनांक 21–11–2013 द्वारा विचारण न्यायालय के त्रुटिपूर्ण व अवैध आदेश का समर्थन करके अपने क्षेत्राधिकार का सही प्रकार से उपयोग नहीं किया गया है। अतः हस्तगत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य व दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निगरानी अधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

12– निगरानीकर्ता व केवियटकर्ता द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत किये गये तर्कों की विवचेना व उपरोक्तानुसार निष्कर्षांकन के बाद मेरा मत है कि हस्तगत निगरानी को आगे सुनवाई हेतु लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। ग्राह्यता स्तर पर ही निगरासनी का अन्तिम निस्तारण किया जाना उचित है।

13– परिणामतः हस्तगत निगरानी को स्वीकार किया जाता है और न्यायालय, सहायक कलेक्टर, दौसा द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या

16/2013 में पारित आदेश दिनांक 24–07–2013 तथा न्यायालय, भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 115/2013 में पारित आदेश दिनांक 21–11–2013 को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है। फिर भी, विचारण न्यायालय यदि न्यायहित में रिसीवर नियुक्त करना आवश्यक समझती है तो, उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रावधानों व इस न्यायालय द्वारा पूर्व अनुच्छेदों में व्यक्त मत की रोशनी में समुचित आदेश पुनश्चः पारित कर सकती है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य